"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2014—पौष 13, शक 1935

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं दिलीप कुमार सिंह पिता स्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह, उम्र 47 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 52, मोहल्ला बुधवारी, मकान क्र. 6/1, जोनल रेल्वे कालोनी, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त रिकार्ड/सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम दिलीप सिंह पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम दिलीप कुमार सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे दिलीप कुमार सिंह पिता स्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

दिलीप सिंह
पिता- श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह
निवासी-म. क्र. 6/1, टाईप III
जोनल रेल्वे कालोनी (एन. ई.) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे
जिला बिलासपुर (छ. ग.)
पिन 495004

**नया नाम**

दिलीप कुमार सिंह
पिता- स्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह
निवासी-म. क्र. 6/1, टाईप III
जोनल रेल्वे कालोनी (एन. ई.) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे
जिला बिलासपुर (छ. ग.)
पिन 495004

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती सीता बाई ठाकुर धर्मपत्नी श्री दुकल राम, उम्र 55 वर्ष, निवासी क्वार्टर नं. 13 ई, सड़क नं. 4, सेक्टर 4, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती कचरा बाई तथा मेरे पुत्र के अंकसूची व स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती सीता ठाकुर एवं सीताबाई ठाकुर व श्रीमती सीता दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सीताबाई ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सीताबाई ठाकुर धर्मपत्नी श्री दुकल राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

श्रीमती कचरा बाई एवं श्रीमती सीता ठाकुर
व श्रीमती सीताबाई ठाकुर एवं सीता ठाकुर
धर्मपत्नी श्री दुकलराम
निवासी क्वा. नं. 13 ई, सड़क-4, सेक्टर-4, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

श्रीमती सीताबाई ठाकुर
धर्मपत्नी श्री दुकलराम
निवासी क्वा. नं. 13 ई, सड़क-4, सेक्टर-4, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बिजु नायर आत्मज श्री ए. श्रीधरन नायर, उम्र 34 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 7/ई, सड़क नं. 29, जोन-2, सेक्टर-11, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम बिच्चु नायर जो कि जन्म से लेकर अभी तक के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर बिजु नायर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे बिजु नायर आत्मज श्री ए. श्रीधरन नायर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

बिच्चु नायर
(BICHU NAIR)
आत्मज श्री ए. श्रीधरन नायर
निवासी क्वा. नं. 7/ई, सड़क नं. 29
जोन 2, सेक्टर 11, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

बिजु नायर
(BIJU NAIR)
आत्मज श्री ए. श्रीधरन नायर
निवासी क्वा. नं. 7/ई, सड़क नं. 29
जोन 2, सेक्टर 11, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जोगेन्दर पिता श्री दलसिंगार, आयु 42 वर्ष, निवासी मकान नं. 16 बी, सड़क नं. 6, सेक्टर -4, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने नाम के साथ अपना उपनाम यादव जोड़कर अपना नया नाम जोगेन्दर यादव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे जोगेन्दर यादव पिता श्री दलसिंगार यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

जोगेन्दर<br>
पिता-श्री दलसिंगार<br>
निवासी-ब्लाक नं. 16 बी, सड़क नं. 6, सेक्टर-4, भिलाई नगर<br>
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

जोगेन्दर यादव<br>
पिता-श्री दलसिंगार यादव<br>
निवासी-ब्लाक नं. 16 बी, सड़क नं. 6, सेक्टर-4, भिलाई नगर<br>
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपक कुमार जैन पिता स्व. श्री पूरन चन्द, उम्र 42 वर्ष, निवासी सी-238, सॉई भूमि, शंकरनगर वार्ड, गुरूनानक चौक तोरवा तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त रिकार्ड/सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम दीपक कुमार पिता श्री पूरन चन्द दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम जैन जोड़कर अपना नया नाम दीपक कुमार जैन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे दीपक कुमार जैन पिता स्व. श्री पूरन चन्द के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

दीपक कुमार<br>
पिता श्री पूरन चन्द<br>
निवासी-सी-238, सॉई भूमि, शंकरनगर वार्ड, गुरूनानक चौक<br>
तोरवा, बिलासपुर (छ. ग.)

**नया नाम**

दीपक कुमार जैन<br>
पिता श्री पूरन चन्द<br>
निवासी-सी-238, सॉई भूमि, शंकरनगर वार्ड, गुरूनानक चौक<br>
तोरवा, बिलासपुर (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, यमलेश कुमार देवांगन पिता श्री श्याम लाल, उम्र 46 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 32/सी, पाकेट सी, मरौदा सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम यमलेश कुमार दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम देवांगन जोड़कर अपना नया नाम यमलेश कुमार देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे यमलेश कुमार देवांगन पिता श्री श्याम लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

यमलेश कुमार
पिता श्री श्याम लाल
निवासी-क्वा. नं. 32/सी , पाकेट-सी, मरौदा सेक्टर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

यमलेश कुमार देवांगन
पिता श्री श्याम लाल
निवासी-क्वा. नं. 32/सी , पाकेट-सी, मरौदा सेक्टर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राधेश्याम डाहरे आत्मज श्री ईमान डाहरे, आयु 45 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 84/डी., रिसाली सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र की दसवीं की अंकसूची एवं जाति प्रमाण पत्र में प्रदीप कुमार डाहरे दर्ज है तथा उनके स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में उनका नाम प्रदीप कुमार दर्ज है. मैं अपने पुत्र के नाम के साथ सरनेम डाहरे जोड़कर अपने पुत्र का नया नाम प्रदीप कुमार डाहरे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को प्रदीप कुमार डाहरे पिता श्री राधेश्याम डाहरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

प्रदीप कुमार
पिता श्री राधेश्याम
निवासी-क्वा. नं. 84/डी, रिसाली सेक्टर भिलाई
जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

प्रदीप कुमार डाहरे
पिता श्री राधेश्याम
निवासी-क्वा. नं. 84/डी, रिसाली सेक्टर भिलाई
जिला दुर्ग (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमेश प्रसाद विश्वकर्मा पिता श्री भैरोंन प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र 54 वर्ष, निवासी अवधपुरी रिसाली, प्लाट नं. 31, पटवारी आफिस के पीछे, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के समस्त विभागीय दस्तावेजों, गेटपास आदि में मेरा नाम रमेश प्रसाद दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम विश्वकर्मा जोड़कर अपना नया नाम रमेश प्रसाद विश्वकर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रमेश प्रसाद विश्वकर्मा पिता श्री भैरोंन प्रसाद विश्वकर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

रमेश प्रसाद
पिता श्री भैरोंन प्रसाद विश्वकर्मा
निवासी-प्लाट नं. 31, अवधपुरी रिसाली, भिलाई
जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

रमेश प्रसाद विश्वकर्मा
पिता श्री भैरोंन प्रसाद विश्वकर्मा
निवासी-प्लाट नं. 31, अवधपुरी रिसाली, भिलाई
जिला दुर्ग (छ. ग.)

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पूजा बुराडे पति श्री मनीष बुराडे, उम्र 28 वर्ष, निवासी प्लाट नं.-37, आशीष नगर (पश्चिम), रिसाली, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) वर्तमान पता एम. क्यू. 274, ऊर्जा नगर, गेवरा परियोजना जिला कोरबा (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा विवाह दिनांक 7-12-2012 को श्री मनीष बुराडे पिता श्री श्यामरावं बुराडे के साथ हुआ. विवाह पूर्व मेरा नाम कु. पूजा तेलंग पिता श्री शंकर राव तेलंग था. विवाह पश्चात् मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती पूजा बुराडे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती पूजा बुराडे पति श्री मनीष बुराडे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

कु. पूजा तेलंग
पिता श्री शंकर राव तेलंग

**नया नाम**

श्रीमती पूजा बुराडे
पति श्री मनीष बुराडे
निवासी-एम. क्यू. 274, ऊर्जा नगर, गेवरा परियोजना
जिला कोरबा (छ. ग.)

# विविध

## निविदा सूचनाएं

### निविदा सूचना

(अल्पकालीन)

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्रमांक जी. बी. 4 क्र. शा./(2)/मु. हे. का./13-14/900.—उप-संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव के उपयोग हेतु वर्ष 2013-14 में लगने वाले मैपलिथों सफेद पेपर 10 एम. टी. 70 जी. एस. एम. 59.4 से. मी. रील पेपर आई. एस. 1848/2007 विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट क्रय हेतु व्यवसाइयों से दर आमंत्रित की जाती हैं. दर निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत की जानी है, जिसमें टेण्डर की शर्तों का विवरण भी दिया गया है. निर्धारित प्रपत्र इस कार्यालय में दिनांक 30-12-13 से 20-1-14 तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर राशि रुपये 500.00 (रुपये-पांच सौ) नगद तथा डाक से रुपये 600.00 (रुपये छैः सौ) मात्र जमा करने के उपरांत प्राप्त किये जा सकते हैं. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21-01-14 समय 3.00 बजे तक होगी, तथा निविदा उसी दिवस समय 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी. विलम्ब से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

**चन्द्र कांत उइके,**<br>
संचालक<br>
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री<br>
छत्तीसगढ़ रायपुर

---

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

प्रकरण क्रमांक/ /ब-113 (1)/वर्ष 2013-14

क्रमांक/568/वाचक/अ.वि.अ./न्यास/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोक शर्मा, श्रीमती शकुन्तला शर्मा, कवल जीत सिंह खुराना एवं विपिन मिरानी निवासी रायपुर जिला रायपुर द्वारा सहज संसार ट्रस्ट आनंद नगर रायपुर को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गयी संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 07-01-2014 की होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | लोक न्यास का नाम व पता | : | सहज संसार ट्रस्ट (न्यास) आनंद नगर रायपुर |
| 2. | चल संपत्ति | : | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं एस. बी. आई. पास बुक क्रमांक क्रमशः 48456 एवं 47751 में जमा रुपये में से 2,00,000.00 रुपये (दो लाख रुपये) नगद. |
| 3. | अचल संपत्ति | : | ग्राम पंचदेवरी एवं सांकरा जिला दुर्ग में स्थित कृषि भूमि. |

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09-12-2013 को जारी.

**बी. सी. साहू,**<br>
अनुविभागीय अधिकारी (रा)<br>
एवं पंजीयक.

# अन्य सूचनाएं

## कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 2 जुलाई 2013

क्रमांक/उपं. दु. /परिसमापन 2013/649.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./260 दिनांक 03-03-06 के द्वारा संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या. चिरपोटी पं. क्र.-27 का परिसमापक श्री पी. के. जैन, सहकारिता विस्तार अधिकारी दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. जैन के निलंबन हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती हेमलता देशमुख, सहकारिता विस्तार अधिकारी को संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या. चिरपोटी पं. क्र.-27 परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-7-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2013

क्रमांक/उपं. दु. /परिसमापन 2013/1182.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/836 दिनांक 08-05-96 के द्वारा उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. मोहलाई पं. क्र.-2169 संस्था के परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री एच. आर. चन्द्राकर का अन्यंत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती हेमलता देशमुख, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. मोहलाई पं. क्र.-2169 परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-10-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**डी. एल. राम,**
सहायक पंजीयक.

---

## कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुंगेली (छ. ग.)

मुंगेली, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक/परिसमापन/2013/707.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/350/मुंगेली दिनांक 03-07-2013 के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित भठगांव पंजीयन क्रमांक 3150 दिनांक 26-10-1985 विकास खण्ड पथरिया जिला मुंगेली को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. के. कौशिक सहकारिता विस्तार अधिकारी पथरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं श्रीमती मंजू महेन्द्र पाण्डेय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुंगेली छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

मुंगेली, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक/परिसमापन/2013/707.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/350/मुंगेली दिनांक 03-07-2013 के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित हथनीकला पंजीयन क्रमांक 3843 दिनांक 01-03-1997 विकास खण्ड पथरिया जिला मुंगेली को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. के. कौशिक सहकारिता विस्तार अधिकारी पथरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं श्रीमती मंजू महेन्द्र पाण्डेय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुंगेली छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

मुंगेली, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक/परिसमापन/2013/707.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/350/मुंगेली दिनांक 03-07-2013 के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मुंड़ादेवरी पंजीयन क्रमांक 3208 दिनांक 30-12-1987 विकास खण्ड पथरिया जिला मुंगेली को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. के. कौशिक सहकारिता विस्तार अधिकारी पथरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं श्रीमती मंजू महेन्द्र पाण्डेय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुंगेली छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

मुंगेली, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक/परिसमापन/2013/707.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/350/मुंगेली दिनांक 03-07-2013 के तहत् सत्संगति आदिवासी रेत खनिज सहकारी समिति मर्यादित मोतिमपुर पंजीयन क्रमांक 3664 दिनांक 15-05-1995 विकास खण्ड पथरिया जिला मुंगेली को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. के. कौशिक सहकारिता विस्तार अधिकारी पथरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं श्रीमती मंजू महेन्द्र पाण्डेय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुंगेली छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

मुंगेली, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक/परिसमापन/2013/707.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/350/मुंगेली दिनांक 03-07-2013 के तहत् ग्रामीण महिला बहुदेशीय सहकारी समिति मर्यादित सरगांव पंजीयन क्रमांक 151 दिनांक 31-03-2003 विकास खण्ड पथरिया जिला मुंगेली को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. के. कौशिक सहकारिता विस्तार अधिकारी पथरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं श्रीमती मंजू महेन्द्र पाण्डेय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुंगेली छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

मुंगेली, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक/परिसमापन/2013/707.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/350/मुंगेली दिनांक 03-07-2013 के तहत् महामाया गौण खनिज सहकारी समिति मर्यादित सावतपुर पंजीयन क्रमांक 3794 दिनांक 28-09-1996 विकास खण्ड पथरिया जिला मुंगेली को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. के. कौशिक सहकारिता विस्तार अधिकारी पथरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं श्रीमती मंजू महेन्द्र पाण्डेय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुंगेली छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

मुंगेली, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक/परिसमापन/2013/707.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/350/मुंगेली दिनांक 03-07-2013 के तहत् जय भवानी महिला बहुदेशीय सहकारी समिति मर्यादित अमोरा पंजीयन क्रमांक 2021 दिनांक 11-02-2003 विकास खण्ड पथरिया जिला मुंगेली को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. के. कौशिक सहकारिता विस्तार अधिकारी पथरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं श्रीमती मंजू महेन्द्र पाण्डेय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुंगेली छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

मुंगेली, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक/परिसमापन/2013/707.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/350/मुंगेली दिनांक 03-07-2013 के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मोहभट्ठा पंजीयन क्रमांक 3209 दिनांक 30-12-1987 विकास खण्ड पथरिया जिला मुंगेली को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. के. कौशिक सहकारिता विस्तार अधिकारी पथरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं श्रीमती मंजू महेन्द्र पाण्डेय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुंगेली छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

मुंगेली, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक/परिसमापन/2013/707.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/350/मुंगेली दिनांक 03-07-2013 के तहत् गौण खनिज सहकारी समिति मर्यादित नगपुरा पंजीयन क्रमांक 3761 दिनांक 17-09-1996 विकास खण्ड पथरिया जिला मुंगेली को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. के. कौशिक सहकारिता विस्तार अधिकारी पथरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं श्रीमती मंजू महेन्द्र पाण्डेय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुंगेली छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

मुंगेली, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक/परिसमापन/2013/707.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/350/मुंगेली दिनांक 03-07-2013 के तहत् प्राथमिक ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित गोईद्रा पंजीयन क्रमांक 3499 दिनांक 25-01-1993 विकास खण्ड पथरिया जिला मुंगेली को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. के. कौशिक सहकारिता विस्तार अधिकारी पथरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं श्रीमती मंजू महेन्द्र पाण्डेय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुंगेली छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

**मंजू महेन्द्र पाण्डेय,**
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.